<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/एल आर/6480/06/बाडमेर</u>

देवीचन्द पुत्र शोभराम जाति मेघवाल निवासी बीजराड तहसील चौहटन जिला बाडमेर

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. बंशीधर पुत्र पन्ना लाल जोत ओसवाल निवासी चौहटन
2. राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक अपीलार्थी
श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक</u>

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर-जैसलमेर मु. जोधपुर के निर्णय दिनांक 14-7-06 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी बंशीधर को भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 20-4-1973 को ग्राम बीजराड के खसरा नम्बर 242,242/3,310 एवं 348 में 62 बीघा 9 विस्वा भूमि का आवंटन किया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु

जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत होने पर जिला कलेक्टर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 13-12-04 के द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर-जैसलमेर मु. जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14-7-06 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वक्त आवंटन प्रत्यर्थी बंशीधर तहसील में रीडर के पद पर कार्यरत था जिसका फायदा उठाकर उसने नियमों के विपरीत आवंटन कराया है। वक्त आवंटन प्रत्यर्थी के खाते में खसरा नम्बर 738 की 17बीघा 19विस्वा और खसरा नम्बर 708 की 21 बीघा 12विस्वा कुल 39बीघा 11 विस्वा भूमि मौजूद थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्बत 2034-37 में अंकित है। प्रत्यर्थी द्वारा खसरा नम्बर 738 रकबा 17बीघा 19 विस्वा का बेचान माधाराम को किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 705 दिनांक 8-8-78 को स्वीकृत किया गया है एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 21बीघा 12विस्वा बेचान मीरमोहम्मद को किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 707 दिनांक 15-8-78 को स्वीकृत किया गया है। इसलिये प्रत्यर्थी बंशीधर वक्त आवंटन भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था। उसने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है इसलिये उसके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों पर

विचार किये बिना अपने निर्णय पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त वक्त आवंटन कौरम पूर्ण नहीं था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1993पेज652, आर बी जे 1997 पेज 224, आर बी जे 1998 पेज 171, आर बी जे2001 पेज 52, आर आर डी 1999 पेज486, आर आर डी 2000 पेज151, आर बी जे 2006 पेज 272, डी एन जे 2011 पेज 1100,2013 डी एन जे 1367 की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101(3) के तहत राज्य कर्मचारी होने के कारण जिला कलेक्टर बाडमेर से भूमि आवंटन की स्वीकृति दिनांक 6-3-69 को प्रदान की गई थी जिसके आधार पर भू आवंटन सलाहकार समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमिहीन होने के कारण वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता भूमिहीन होने से उसके भाई सूरजमल एवं माता को भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि के बाबत प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।30 वर्ष से अधिक समय से आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। 30वर्ष पश्चात खातेदारी मिलने के पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पूरी जांच कर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा है इसलिये द्वितीय अपील के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2009 पेज 177, आर आर डी 1998 पेज 445, आर आर डी

1999 पेज 128, आर आर डी 2003(2) पेज 921,आर एल डब्लू2003(1)राज पेज265, आर आर डी 2001 पेज 206, आर बी जे(13)2006 पेज 216, आर आर डी 1995 पेज 173, आर आर डी 1998 पेज 367, आर बी जे 1995(2)पेज 780, आर आर डी 1993 पेज 596, आर बी जे1995(2)पेज1 एस सी की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बंशीधर को ग्राम बीजराड के खसरा नम्बर 242,242/3,310 एवं 348 में कुल 62 बीघा 19 विस्वा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20-4-73 को किया गया है। यह सही है कि वक्त आवंटन आवंटी राज्य सेवा में था जिसके लिये आवंटन से पूर्व आवंटन की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने उक्त आवंटन कराने से पूर्व धारा 101(3) के तहत कृषि भूमि आवंटन हेतु अनुमति प्राप्त की है। इसी अनुमति के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यर्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है।आवंटन नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के द्वारा आवंटन के 10वर्ष पश्चात आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद इस आवंटन को नियम 14(4) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात खातेदारी अधिकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों के तहत ही खारिज किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु जिला

कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नंहीं है।

8. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 20–4–73को किया गया है और उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र वर्ष 2003 में दिनांक 7–7–2003 को लगभग 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि नियम विरूद्ध आवंटन कराना एवं आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने का आरोप प्रार्थी साबित नहीं करा सका है। प्रार्थी ने ऐसी कोई शहादत पेश नहीं की जिससे यह सिद्ध हो कि आवंटी ने आवंटन नियमों की अवहेलना कर आवंटन कराया हो। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत दस वर्ष पश्चात ही आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है और 30 वर्ष पश्चात लम्बी अवधि के आवंटन को रद्द नहीं किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने विस्तृत विवेचन करते हुये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र को सिद्ध नहीं मानकर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मण्डल की विभिन्न पीठों यह मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

(1) 1995 आर बी जे(2)पेज1(माननीय सर्वोच्च न्यायालय)

The following conditions should be fulfilled for a personto be the landless person, namely , (i) he must be a resident of Rajasthan, (ii) he must be a bonafide agriculturist or an agirucultrual labourer cultivating or likely to cultivate the land personally land whose main source of income is

agriculture or any subsidiary occupation like cattle breeding etc. provided that such that he holds is less than a fragment, he, becomes eligible for asignment of land as a landless person.

(2) 1993 आर आर डी पेज596(माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्ड पीठ)

Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Govt. Land in Rajasthan Canal Colony Area) Rules, 1975- Permanent allotment of land - Appellant was holding temporary allotment - Permanent allotment refused on the ground that he was a minor and had given false declaration at the time of temporary allotment of land - Authorities rejected the School and Medical Certificates in support of his age - Temporary lease never cancelled - Held that appellant being `temporary cultivation lease holder' permanent allotment could not be denied to him under the Rules - After making temporary allotment in favour of appellant, if it was sought to be cancelled on the ground that appellant was minor at the time of allotment, then the onus was on the Authorities to show that the appellant had made misrepresentation regarding his age.

(3) 1995(2) आर बी जे पेज 780(मा.राज.उच्च न्या.का निर्णय)

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules, 1957 and 1970- Rule 14(4) After conferment of khatedari rights, allotment cannot be cancelled.

(4) 1998 आर आर डी पेज367(मा.राज.उच्च न्या.का निर्णय)

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules 1970, Rule 14(4) - Writ petition against order of Board of Revenue dismissing revision - Held, application presented before Collector under Rule 14(4) of the Rules for cancellation of allotment, rejecte - Complainant is not aggrieved person and has no right of appeal - Order of ì allotment in favour of respondent could have been challenged by petitioner u/s 75, Land Revenue Act by filing appeal - Order of Board of Revenue needs no interfernece.

(5) 2001 आर आर डी पेज206(मा.राज.उच्च न्या.की खण्ड पीठ का निर्णय)

Raj. Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rules 14(4) - Allotment made 25 years ago - Cancellation of allotment on the ground that allotees were minors at the time of allottment as per school certificates not proper when as per horoscope and their father's statement they (allottees-petitioners-appellants) were major - Moreover, in these circumstances, it would be travesty of justice to dispossess them after 25 years.

(6)1995आर आर डी पेज173(मण्डल की बृहद पीठ का निर्णय)

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules, 1970, Rule 14 (4) - A person aggrieved by an allotment order should seek remedy by way of appeal u/s 75 of the Rajasthan Land Revenue Act - Cancellation of allotment under Rule 14(4) is a matter between the allotee and the State - The status of an applicant who seeks cancellation of an allotment is that of an informer of complainant and not of a party to the proceeding - He may

be heard by the Collector but only for the limited purpose effective disposal of his application - In the event of cancellation of allotment, the only aggrieved party is the allotee who can seeks redress by way of appeal - The applicant (complainant) is not a necessary party to the appeal as no relief is sought against him but if he is joined as a respondent in the appeal by way of abundant caution , it does not confer on him any right to continue the litigation in second appeal - If the allotment is restored in appeal, the State Govt. alone will be the aggrieved party which may, if it so desires go in second appeal - Therefore, where the order of cancellation of allotment passed by the Collector is reserved in an appeal filed by the allottee, the applicant (complainant) can in no case file a second appeal.

(7) 2006(13)आर बी जे 216(मण्डल की एकल पीठ का निर्णय)

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes), Rules 1970- Rule 14(4)- When there is no sufficient grounds for condoning the delay in filing the appeal. Allotment of land cannot be cancelled after 30 years- In this case, an appeal for cancellation of allotment was filed aftyer 30 years, but no rerason were explained for filing time barred appeal. The Board of Revenue held that when there is no sufficient grounds for condoning the delay in filing the appeal the allotment of land cannot be cancelled after 30 years.

9. माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में कोई

हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं और दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को 30 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद निरस्त करना विधिसम्मत नहीं मानते हुये जो निष्कर्ष अंकित किया है उससे हम पूर्णतया सहमत हैं।

10. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य